तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2091/2003/नागौर** **हरजीराम बनाम भवरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री गौरव दवे, अभिभाषक, प्रार्थीगण।
(2) श्री डूंगरसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3

––

निर्णय

दिनांकः 23.03.2021

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं0 43/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 06–05–1999 शीर्षक गैन्दा बनाम हरजीराम के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (1)(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अ/ओ. 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित खसरा नं0 752 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा सरहद परबतसर जो जुगलकिशोर की खातेदारी का खेत था जिसे दिनांक 17–1–1997 को रेस्पो0 सं0 1 से 3 ने खरीदा था। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थी की बहस सुनकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपने आदेश दिनांक 6–5–1999 से आदेश दिया गया कि तहसीलदार परबतसर को रिसीवर नियुक्त किया जाकर परबतसर के खसरा नं0 749 की दक्षिणी सीमा के अन्दर तथा उसी के दक्षिण में रास्ता खसरा नं0 752 जहां पर अप्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा कर रखा है, को कुर्क किया जाकर कब्जा राज हक में लिया जावें। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट गैन्दा ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–4–2003 से अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6–5–1999 को निरस्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 10–4–2003 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2091/2003/नागौर** **हरजीराम बनाम भवरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि पूर्व में अप्रार्थी के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया फिर भी ये निर्माण कर रहे थे। रिसीवर की नियुक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार हुआ। वादग्रस्त आराजी मेरे खेत व रास्ते के बीच में है जिससे मेरा हक मारा जा रहा है तथा इनका कब्जा अवैद्य है। इनका प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं बनता है तथा इनको अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही है। इनके पास रास्ता होने से इनको अतिक्रमण का अधिकार नहीं मिल जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपीलांट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत जाकर अपना निर्णय पारित किया है। इसलिए निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–4–2003 निरस्त किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उचित एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपने आदेश दिनांक 6–5–1999 में अंकित किया कि तहसीलदार परबतसर को रिसीवर नियुक्त किया जाकर परबतसर के खसरा नं0 749 की दक्षिणी सीमा के अन्दर तथा उसी के दक्षिण में रास्ता खसरा नं0 752 जहां पर अप्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा कर रखा है, को कुर्क किया जाकर कब्जा राज हक में लिया जावें। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 10–4–2003 में माना कि रिसीवर नियुक्ति द्वारा किसी काबिज व्यक्तियों को बेदखल करना और वह भी बिना सुनवाई न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6–5–1999 निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नं0 752 जहां अप्रार्थी/अपीलांट का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2091/2003/नागौर** **हरजीराम बनाम भवरी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जा था, को वापस अपीलांट को सौंपने का आदेश दिया जाता है।

8- पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खतौनी ग्राम परबतसर, तहसील परबतसर, जिला नागौर सम्वत् 2050 से 2053 में खसरा नं0 749 हरजीराम लखमाराम सा0 सिंगोली 1/2 रामस्वरूप पुत्र भैरूराम 1/3 मदनलाल पुत्र बिस्वाराम 1/4 के नाम दर्ज है। खसरा नं0 752 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने दिनांक 6-5-1999 को अप्रार्थीगण को बिना सुने विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर तहसीलदार, परबतसर को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा राज हक लेने का आदेश जारी किया, जो उचित नहीं है।

9- इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 10-4-2003 को उपखण्ड अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया तथा विवादित भूमि खसरा नं0 752 जहां अप्रार्थी/अपीलांट का कब्जा था, को वापस अपीलांट को सौंपने का आदेश कर दिया।

10- खसरा नं0 752 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। गै0मु0 रास्तों का कब्जा अपीलांट को सौंपा जाना विधिसम्मत नहीं है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय काबिल खारिज है।

11- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-4-2003 व विद्वान उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-5-1999 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ विद्वान उपखण्ड अधिकारी परबतसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

12- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य